

बृज भूषण एवं अन्य

बनाम

दिल्ली राज्य

[श्री हरीलाल कानिया, मुख्य न्यायाधिपति, सैयद फैजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चन्द महाजन, मुखर्जी तथा दास, जे.जे.]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 खण्ड (1)(ए) और (2)-भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार-सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लगाने वाला कानून-वैधता-सार्वजनिक सुरक्षा में खलल डालने वाले या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाले मामले, चाहे " राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है"- अनुच्छेद 19 खण्ड (2) का स्कोप-पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 की धारा 7(1) (सी)-वैधता।

दिल्ली प्रान्त तक विस्तारित पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 की धारा 7(1)(सी) में प्रावधान है कि "प्रांतीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने या मुकाबला करने के लिए इस

तरह की कार्यवाही आवश्यक है कि मुद्रक, प्रकाशक या संपादक को लिखित आदेश दिया जाए कि किसी भी मामले से संबंधित विषय विशेष या विषयों के वर्ग को प्रकाशन से पहले जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

कानिया सी.जे., पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और दास जे.जे. द्वारा अभिनिर्धारित-(फ़ज़ल अली जे. असहमति) के अनुसार माना गया कि चूंकि धारा 7(1)(सी) सार्वजनिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियां को रोकने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा गारण्टीकृत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करती है, यह किसी ऐसे मामले से संबंधित विधि नहीं थी, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निहित बचत प्रावधानों के अर्थ में राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता हो या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता हो, इसलिए यह असंवैधानिक और शून्य है।

[रोमेश थापर बनाम राज्, 1950 एस.सी.आर. 594] का पालन किया गया

फ़ज़ल अली जे.-"सार्वजनिक सुरक्षा" विधायी अभ्यास के एक लंबे पाठ्यक्रम के परिणामस्वरूप, एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ प्राप्त कर चुकी है, जिसे राज्य की सुरक्षा या संरक्षा को दर्शाने के लिए लिया जा सकता है एवं यद्यपि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था" शांति की छोटी

छोटी गड़बड़ियों को कवर करने के लिए काफी व्यापक है, जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालती है, फिर भी अधिनियम में सार्वजनिक सुरक्षा को प्रमुखता दी गयी है, तथ्य यह है कि अधिनियम विशेष कानून का हिस्सा है, विशेष उपायों तथा सामान्य रूप से अधिनियम के उद्देश्य एवं दायरे को देखे जाने से पता चलता है कि सार्वजनिक सुरक्षा का संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है, तथा सार्वजनिक व्यवस्था को सार्वजनिक शांति के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। सार्वजनिक विकार, जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, राज्य की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। आक्षेपित अधिनियम की धारा 7(1)(सी) का उद्देश्य ऐसे विकारों को रोकना है, यह मानना कठिन है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के दायरे से बाहर है।

पूर्ण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित-किसी जर्नल पर पूर्व सेंसरशिप लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, जो अनुच्छेद 19(1)(ए). द्वारा घोषित भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्लेकस्टोन की टिप्पणियाँ निर्दिष्ट।

मूल क्षेत्राधिकार: 1950 की याचिका संख्या XXIX।

उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन, तथ्य निर्णय में बताए गए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से एन.सी. चटर्जी (बी. बनर्जी, उनके साथ)।

प्रतिवादी की ओर से भारत के अटॉर्नी-जनरल एम.सी. सीतलवाड, (उनके साथ एस.एम. सीकरी)। 26 मई, 1950 कनिया सी.जे., पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और दास जे.जे. द्वारा प्रदत्त निर्णय।

फजल अली जे. ने एक अलग असहमतिपूर्ण निर्णय दिया,

पतंजलि शास्त्री जे.-यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन है, जिसमें प्रतिवादी, दिल्ली के मुख्य आयुक्त को दिल्ली के एक अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गनाइजर के संबंध में उनके द्वारा दिए गए आदेश की वैधता की जांच करने और उक्त आदेश को रद्द करने की दृष्टि से उत्प्रेषण और निषेध की रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसका पहला आवेदक मुद्रक और प्रकाशक है, और दूसरा संपादक है। 2 मार्च, 1950 को, प्रतिवादी ने, पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 की धारा 7 (1) (सी) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे दिल्ली प्रांत तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आगे आक्षेपित अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, निम्न आदेश पारित किया:-

"जबकि मुख्य आयुक्त, दिल्ली, इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के एक अंग्रेजी साप्ताहिक का ऑर्गनाइजर सार्वजनिक कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाला अत्यधिक आपत्तिजनक मामला प्रकाशित कर

रहा है और जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य के लिए कार्रवाई आवश्यक है।

इसलिए अब पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949, जिसे दिल्ली प्रान्त तक विस्तारित किया गया है, की धारा 7 (1)(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शंकर प्रसाद, मुख्य आयुक्त, दिल्ली, इस आदेश द्वारा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप श्री बृज भूषण, मुद्रक एवं प्रकाशक तथा श्री के.आर. हलकानी, उक्त पत्र के संपादक, प्रकाशन से पहले, अगले आदेश तक, पाकिस्तान के बारे में सभी सांप्रदायिक मामले तथा समाचार तथा विचार, जिनमें उनसे ली गयी तस्वीरों तथा कार्टूनों के अतिरिक्त अन्य तस्वीरें तथा कार्टून भी सम्मिलित हैं, को दो प्रतियों में जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आधिकारिक स्रोत या समाचार एजेंसियों, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया और यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका द्वारा प्रांतीय प्रेस अधिकारी को या उनकी अनुपस्थिति में, 05 अलीपुर रोड स्थित उनके कार्यालय में प्रेस शाखा के अधीक्षक को सुबह दस बजे से सायं पांच बजे तक कार्यदिवसों में आपूर्ति की गयी।

हमारे सामने एकमात्र मुद्दा विवादित अधिनियम की धारा 7 (1) (सी) की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, जो कि, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से प्रतीत होता है, "सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक

व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष उपाय प्रदान करने के लिए" पारित किया गया था । ।" धारा 7 (1) (सी) जिसके तहत उपरोक्त आदेश बनाया गया है (जहां तक यह सामग्री है) इस प्रकार है:--

"प्रांतीय सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि जनता के लिए प्रतिकूल किसी भी गतिविधि का मुकाबला करने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यवाही आवश्यक है तो वह मुद्रक, प्रकाशक को लिखित रूप में आदेशित कर सकती है या मांग कर सकती है कि विषयों के किसी विशिष्ट विषय वर्ग से संबंधित कोई भी मामला प्रकाशन से पहले जांच के लिए प्रस्तुत किया जाए।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा उन्हें प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करता है, जो अनुच्छेद के खण्ड 02 के अंतर्गत उचित नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी पत्रिका पर प्रीसेंसरशिप लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, जो अनुच्छेद 19 (1)(ए) द्वारा घोषित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है जैसा कि ब्लैकस्टोन ने अपनी टिप्पणियों में बताया है, "प्रेस

की स्वतंत्रता प्रकाशनों पर कोई पूर्व प्रतिबंध लगाने में शामिल नहीं है और प्रकाशित होने पर आपराधिक मामले के लिए निंदा से मुक्ति में नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति को निस्संदेह यह अधिकार है कि वह अपनी भावनाओं को जनता के सामने रखे। इस पर रोक लगाना, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना है⁽¹⁾। इसलिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 7 (1)(सी) जो इस तरह के प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करती है, अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अंतर्गत आती है। चूंकि यह प्रश्न उन विचारों पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से वही हैं, जिन पर 1950⁽²⁾ की याचिका संख्या XVI में हमारा निर्णय आधारित था, उस मामले में हमारा निर्णय वर्तमान मामले को भी समाप्त करता है। तदनुसार, उस फैसले में बताए गए कारणों से हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और मुख्य आयुक्त, दिल्ली के 2 मार्च, 1950 के आदेश को रद्द करते हैं।

(1) ब्लैकस्टोन की टिप्पणियाँ, खंड IV, पीपी. 151, 152

(2) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, सुप्रा. पी. 594

फ़ज़ल अली जे.-इस मामले में उठाया गया प्रश्न पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 (जैसा कि दिल्ली प्रांत तक विस्तारित है) की धारा 7(1)(सी) की वैधता से संबंधित है, जो इस प्रकार है: -

"प्रांतीय सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि को रोकने या मुकाबला करने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा मुद्रक, प्रकाशक या संपादक को संबोधित कर सकता है।

(सी) आवश्यकता है कि किसी विशेष विषय या विषयों के वर्ग से संबंधित कोई भी मामला प्रकाशन से पहले जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप-खंड (सी) के प्रावधान सामान्य शब्दों में नहीं हैं, बल्कि "विशेष विषय या विषयों के वर्ग" तक ही सीमित हैं, और जिस संदर्भ में इन शब्दों का उपयोग किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए "सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" से जुड़ा हुआ होना चाहिए।

याचिकाकर्ता, जिनकी ओर से इस प्रावधान पर मजबूती से तर्क दिया गया है, वे क्रमशः दिल्ली के एक अंग्रेजी साप्ताहिक "ऑर्गनाइजर" के मुद्रक (और प्रकाशक) और संपादक हैं और उन्होंने मुख्य आयुक्त, दिल्ली को

उत्प्रेषण और प्रतिषेध के रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की कि 2 मार्च, 1950 को उनके द्वारा दिए गए आदेश की वैधानिकता की जांच और समीक्षा करने एवं संचालन को रोकने तथा उक्त आदेश को रद्द करने के लिए, उन्हें विवादित धारा के तहत पाकिस्तान के बारे में सभी सांप्रदायिक मामलों के समाचार और विचार, जिनमें आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त या समाचार एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की गई तस्वीरों और कार्टूनों के अलावा अन्य तस्वीरें और कार्टून शामिल हैं, अगले आदेश तक प्रकाशन से पहले दो प्रतियों में जांच के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। विचाराधीन आदेश में अन्य बातों के अलावा प्रमुखता से बताया है कि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि "ऑर्गनाइज़र" सार्वजनिक कानून तथा व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले अत्यधिक आपत्तिजनक मामले को प्रकाशित कर रहा है एवं जिस कार्रवाई का संदर्भ दिया गया है, वह सार्वजनिक सुरक्षा या जनता के रखरखाव के लिए प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने या मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि इन दावों के बावजूद जिस आदेश के खिलाफ शिकायत की गई है, वह रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)

(ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) और (2) का एक साथ पढ़ा जाना है, जो इस प्रकार हैं:-

19. (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा

(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए,

(2) खंड (1) के उप-खंड (ए) में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक यह मानहानि, निन्दा, अवमानना से संबंधित है, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकता है। मानहानि, या न्यायालय की अवमानना कोई भी मामला जो शालीनता या नैतिकता के खिलाफ है या जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है।"

यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 7 (1)(सी), जिसके तहत विवादित आदेश दिया गया है, को संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं है, जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है, इस प्रकार हमले का मुख्य आधार यह है कि

विवादित कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और तथाकथित बचत खंड द्वारा बचाया नहीं गया है जिसका संदर्भ दिया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पत्रिका पर प्री-सेंसरशिप लगाना, जैसा कि इस मामले में मुख्य आयुक्त द्वारा आदेश दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा, और एकमात्र प्रश्न जो हमें तय करना है, वह यह है कि क्या अनुच्छेद 19 का खंड (2) याचिकाकर्ताओं के रास्ते में बाधा है।

पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949, जिसकी धारा 7 एक हिस्सा है, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, इसे प्रविष्टि 1 के साथ पढ़ा जाता है। उस अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची II, जिसमें अन्य मामलों के साथ-साथ "सार्वजनिक व्यवस्था" भी शामिल है। सामान्य अर्थ में इस अभिव्यक्ति को प्रांत में आम तौर पर कानून और व्यवस्था के रूप में जाना जाने वाले रखरखाव के संदर्भ में माना जा सकता है, और इसकी पुष्टि उन शब्दों से होती है जो सूची II की प्रविष्टि 1 में इसका अनुसरण करते हैं और जिन्हें कोष्ठक में रखा गया है, अर्थात्, "लेकिन इसमें नागरिक शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का उपयोग शामिल नहीं

है।" यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी राज्य या प्रांत के भीतर सार्वजनिक शांति को प्रभावित करता है, वह सार्वजनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा और इसलिए राज्य विधानमंडल सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर कानून बनाने में सक्षम है। यह विवादित नहीं है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (जिसके तहत विवादित अधिनियम पारित किया गया था) के तहत यह प्रत्येक प्रांत की जिम्मेदारी थी कि वह सभी आंतरिक विकारों से निपटे, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों तथा प्रान्त के भीतर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखें।

इस स्तर पर, एक अन्य अभिव्यक्ति "सार्वजनिक सुरक्षा" के अर्थ पर विचार करना सुविधाजनक होगा, जिसका उपयोग पूरे विवादित अधिनियम में किया जाता है और जिसे इसके निर्माताओं द्वारा इसके शीर्षक के लिए भी चुना जाता है। यह अभिव्यक्ति, हालांकि इसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है (भारतीय दंड संहिता, अध्याय XIV देखें), लंबे समय के परिणामस्वरूप, विवादित अधिनियम जैसे किसी अधिनियम के संबंध में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थ प्राप्त कर लिया है। विधायी अभ्यास, और राज्य की सुरक्षा या संरक्षा को दर्शाने के लिए लिया जा सकता है। इस अर्थ में, इसका उपयोग क्षेत्र की रक्षा (समेकन) अधिनियम, 1914 के साथ-साथ भारत की रक्षा अधिनियम में

भी किया गया था। और रेक्स बनाम गवर्नर ऑफ वर्मवुड स्क्रब्स जेल⁽¹⁾ में इसकी न्यायिक व्याख्या इस प्रकार की गई थी।

इस मामले का शीर्षक इस प्रकार है "क्षेत्र की रक्षा (समेकन) अधिनियम, 1914 की धारा 1 द्वारा, वर्तमान युद्ध की निरंतरता के दौरान परिषद में महामहिम को नियम जारी करने की शक्ति दी गई थी सार्वजनिक सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा के लिए":--

यह माना गया कि इसके द्वारा अधिकृत नियम विदेशी दुश्मनों के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए नियमों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें आंतरिक अव्यवस्था और विद्रोह की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम भी शामिल थे।

इस प्रकार 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'सार्वजनिक सुरक्षा' परस्पर संबद्ध मामले हैं, लेकिन, यह समझने के लिए कि वे एक-दूसरे से परस्पर कैसे संबंधित हैं, संदर्भ की सुविधा के लिए, हमारा ध्यान विपरीत अवधारणाओं पर केंद्रित करना सबसे अच्छा लगता है। 'सार्वजनिक अव्यवस्था' और 'सार्वजनिक असुरक्षितता' के रूप में लेबल करें। यदि 'सार्वजनिक सुरक्षा', जैसा कि हमने देखा है, 'राज्य की सुरक्षा' के बराबर है, जिसे मैंने सार्वजनिक असुरक्षा के रूप में नामित किया है, उसे 'राज्य की असुरक्षा' के बराबर माना जा सकता है। जब हम मामले को इस तरह से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 'सार्वजनिक अव्यवस्था' एक छोटे से दंगे या

झगड़े और अन्य मामलों को कवर करने के लिए काफी व्यापक है, जहां व्यक्तियों के एक छोटे समूह द्वारा शांति भंग होती है, या प्रभावित होती है, 'सार्वजनिक असुरक्षा' (या राज्य की असुरक्षा), आमतौर पर गंभीर आंतरिक विकारों और सार्वजनिक शांति की ऐसी गड़बड़ी से जुड़ी होगी जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है।

अधिनियम के दायरे को समझने के लिए, यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अधिनियम में "सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव" हमेशा "सार्वजनिक सुरक्षा" के साथ होता है, और अधिनियम को स्वयं "पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम" कहा जाता है, इस प्रकार 'सार्वजनिक सुरक्षा' को दी गई प्रमुखता दृढ़ता से सुझाव देती है कि अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अव्यवस्था के गंभीर मामलों से निपटना था जो सार्वजनिक सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, या ऐसे मामले जिनमें, किसी प्रकार की आपात स्थिति या गंभीर स्थिति के कारण उत्पन्न होने पर, तुलनात्मक रूप से छोटे आयाम की सार्वजनिक गड़बड़ी का राज्य की सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य "सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय" प्रदान करना है। शब्द "विशेष उपाय" काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि यह अधिनियम सामान्य मामलों या सामान्य स्थितियों के

लिए नहीं बनाया गया था। सामान्य मामलों को (1) [1920] 2 केबी 305।
7-3 एस. सी. इंडिया (एन. डी.)

दंड संहिता और अन्य मौजूदा कानूनों द्वारा प्रदान किया जाता है, और इन अधिनियमों के साथ, जो एक अस्थायी अधिनियम होने का दावा करता है, स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं है, इसका संबंध विशेष उपायों से है, जो संभवतः विशेष मामलों या विशेष स्थितियों के लिए आवश्यक होंगे। एक बार जब इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लिया जाता है और अधिनियम को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, तो तर्कों के दौरान पैदा हुआ अधिकांश भ्रम दूर हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सार्वजनिक आदेश" द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जो व्यापक आयात का एक सामान्य शब्द है, और चूंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रावधान करना है, इसलिए इसके प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के सभी मामलों के लिए उपयोग किए जाने का इरादा रखते हैं या उत्तरदायी हैं, चाहे वे छोटे या महत्वहीन उल्लंघन हों या गंभीर या गंभीर प्रकृति के हों, मेरी राय में यह मामले को गलत दृष्टिकोण से मंजूरी देना है। यह अधिनियम एक विशेष कानून है, जो विशेष उपाय प्रदान करता है, इसका मुख्य उद्देश्य

सार्वजनिक सुरक्षा है तथा विशेष उपायों की स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

यह तर्क दिया गया कि अधिनियम में "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव" का उपयोग असंगत रूप से किया गया है तथा उन्हें "और" नहीं बल्कि "या" शब्द से अलग किया गया है, और इसलिए हम अधिनियम में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग करने के सामान्य और गंभीर मामलों के संबंध में प्रावधान करने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं। यह, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, प्रश्न के प्रति कुछ हद तक संकीर्ण और तकनीकी दृष्टिकोण है। अधिनियम की व्याख्या करते समय, हमें इसके लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और अधिनियम को अमान्य घोषित करने से पहले, हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह इस तरह से व्याख्या करने में सक्षम है कि इसकी वैधता के अनुरूप उचित अर्थ हो सके, इसलिए हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा का संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है और यह विशेष उपायों के लिए प्रदान करने वाला एक विशेष अधिनियम है और इसलिए इसे ऐसे अधिनियम के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो सामान्य स्थितियों और किसी भी और प्रत्येक पर लागू होता है। सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन का मामूली मामला, मेरी राय में, "या" शब्द का उपयोग यहां दो पूरी तरह से अलग अवधारणाओं

को अलग करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह दिखाने के लिए किया गया है कि वे बारीकी से संबद्ध अवधारणाएं हैं और संदर्भ में लगभग एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि "सार्वजनिक व्यवस्था" को सार्वजनिक शांति के संदर्भ में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है और "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्दों को "राज्य की सुरक्षा" और "सार्वजनिक शांति" के समकक्ष पढ़ा जा सकता है।

अब मैं एक बार फिर अनुच्छेद 19 के खंड (2) की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा और बताऊंगा कि इसमें "वह मामला जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है" शब्द डालने का क्या कारण मानता हूं। कानून की सभी प्रणालियों में यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे लिख या कह सकता है, जब तक कि वह मानहानि या निंदा से संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं करता है। (देखें हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, दूसरा संस्करण, खंड II, पृष्ठ 391)। यह व्यावहारिक रूप से अनुच्छेद 19 के खंड (2) में कहा गया है, केवल इस अंतर के साथ कि संविधान निर्माताओं ने "देशद्रोह से संबंधित कानून" शब्दों का उपयोग करने के बजाय ऊपर वर्णित शब्दों का उपयोग किया है। यह जानना दिलचस्प है कि संविधान के

मूल मसौदे में राजद्रोह का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में उस शब्द को हटा दिया गया और जो शब्द मैंने उद्धृत किए हैं, उन्हें जोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि इस बदलाव का कारण खोजना मुश्किल नहीं है और मैं इसे अपने शब्दों में संक्षेप में बताऊंगा कि मैं इसे क्या मानता हूँ।

राजद्रोह के कानून के बारे में सर्वोच्च भारतीय न्यायाधिकरण द्वारा नवीनतम घोषणा निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम द किंग⁽¹⁾ में पाई जाती है जिसे बार-बार उद्धृत किया गया है और जिसमें ग्वेयर सीजे ने उस सार्वजनिक अव्यवस्था या उचित प्रत्याशा को निर्धारित किया है, या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना राजद्रोह के अपराध का सार है और "जिन कृत्यों या शब्दों के बारे में शिकायत की गई है वे या तो अव्यवस्था को भड़काने वाले होंगे या ऐसा होना चाहिए, जो उचित लोगों को संतुष्ट कर सके, जो उनका इरादा या प्रवृत्ति है।" इस दृष्टिकोण के लिए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने आर.वी. सुलिवान⁽²⁾ में फिट्जगेराल्ड जे. की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया, और उन्होंने यह भी कहा कि वह इसे अपनाने के लिए संतुष्ट थे। उस विद्वान न्यायाधीश के शब्द जो आपराधिक कानून की इस शाखा से संबंधित प्रत्येक पुस्तक में पाए जाते हैं।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्वेयर सीजे ने उस मामले में जो कहा है वह कई न्यायाधीशों और लेखकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था तथा करता है। सर जेम्स स्टीफन का दृष्टिकोण जिसके संबंध में केव जे ने राजद्रोह के कानून जेआर

बनाम बर्न्स⁽³⁾ से संबंधित एक मामले में जूरी के समक्ष अपने आरोप में कहा था:-

"क्या देशद्रोही है और क्या नहीं, इस प्रश्न पर कानून स्टीफन जे की एक पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिनके पास निस्संदेह बेंच पर बैठने वाले किसी भी अन्य न्यायाधीश की तुलना में आपराधिक कानून का अधिक ज्ञान है, और राजद्रोह के विषय पर उन्होंने जो कहा है वह अन्य न्यायाधीशों को प्रस्तुत किया गया था, जो कुछ समय पहले एक आपराधिक संहिता का मसौदा तैयार करने में उनके साथ लगे हुए थे, और उनकी रिपोर्ट पर आयुक्तों का कहना है कि कानून के बारे में उनका बयान उन्हें बिल्कुल सटीक रूप से कहा गया प्रतीत होता है, जैसा कि वर्तमान में मौजूद है।"

ग्वेयर सीजे का निर्णय कई वर्षों तक प्रभावी रहा, जब तक कि प्रिवी काउंसिल ने, भारत की रक्षा नियमों के तहत एक मामले से निपटते हुए, किंग एम्पर- या बनाम सदाशिव नारायण भालेराव⁽⁴⁾ में यह विचार व्यक्त नहीं किया कि विद्वान प्रमुख न्यायाधीश द्वारा निर्धारित परीक्षण (1) [1942] एफ. जी. आर. 38. (1)[1868] 11 कॉक्स सीसी

44 (2)[1886] 16 कॉक्स 355 (3)74 आईए 8 जी भारत में लागू नहीं था, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत अपराध का अर्थ उस धारा में प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा:-

"देशद्रोह" शब्द न तो धारा 124ए में आता है और न ही नियम में; यह केवल धारा 124ए के सीमांत नोट के रूप में पाया जाता है और यह धारा का सक्रिय हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल वह नाम प्रदान करता है, जिसके द्वारा अपराध को परिभाषित किया गया है।

सीमांत नोट द्वारा अनुभाग की सामग्री को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इंग्लैंड में राजद्रोह की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है; इसका अर्थ और सामग्री कई निर्णयों में निर्धारित की गई है, जिनमें से कुछ का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया है, लेकिन ये निर्णय प्रासंगिक नहीं हैं जब आपके पास उस चीज की वैधानिक परिभाषा है, जिसे राजद्रोह कहा जाता है, जैसा कि हमारे पास वर्तमान मामले में है।

उनके माननीय न्यायाधीश धारा 124ए की भाषा या नियम में ऐसा कुछ भी खोजने में असमर्थ हैं, जो यह

सुझाव दे सके कि 'जिन कृत्यों या शब्दों की शिकायत की गई है वे या तो अव्यवस्था को उकसाने वाले होने चाहिए या ऐसे होने चाहिए जो उचित लोगों को संतुष्ट कर सकें कि यह उनका इरादा या प्रवृत्ति है । "

इसलिए संविधान निर्माताओं को इस दुविधा का सामना करना पड़ा होगा कि क्या "देशद्रोह" शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 19 (2) में किया जाना चाहिए और यदि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए तो इसका उपयोग किस अर्थ में किया जाना चाहिए। जहां एक तरफ उनके दिमाग में कई अधिकारियों द्वारा समर्थित व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण रहा होगा कि राजद्रोह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक शांति के खिलाफ एक अपराध था और किसी न किसी तरह से सार्वजनिक अव्यवस्था से जुड़ा था; वहीं दूसरी ओर, न्यायिक समिति की घोषणा थी कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित राजद्रोह में अव्यवस्था भड़काने का कोई इरादा या प्रवृत्ति शामिल नहीं है। इन परिस्थितियों में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने खंड (2) में "देशद्रोह" शब्द का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया, बल्कि अधिक सामान्य शब्दों का उपयोग किया जो कि राजद्रोह और बाकी सभी चीजों को कवर करते हैं, जो राजद्रोह को इतना गंभीर अपराध बनाते हैं। यह राजद्रोह राज्य की सुरक्षा को

कमजोर करता है, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर ज्यादा संदेह नहीं किया जा सकता। यह आम तौर पर सार्वजनिक अव्यवस्था के माध्यम से राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, यह भी एक ऐसा मामला है, जिस पर प्रख्यात न्यायाधीश और न्यायविद सहमत हैं, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि सार्वजनिक अव्यवस्था या सार्वजनिक शांति में अशांति ऐसे मामले नहीं हैं, जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

स्टीफंस क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड (खंड II, पृष्ठ 242 और 243) से निम्नलिखित अंश को यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा:-

"हालांकि, अक्सर ऐसा होता है कि सार्वजनिक शांति उन अपराधों से भंग हो जाती है, जो मौजूदा राजनीतिक संविधान को नष्ट किए बिना व्यावहारिक रूप से अधिक या कम स्थानीय क्षेत्र पर लंबे या कम समय के लिए सरकार के अधिकार को खत्म कर देते हैं। 1832 में ब्रिस्टल दंगे और 1780 में गॉर्डन दंगे इस प्रकार के उदाहरण हैं, इस प्रकार के विद्रोहों, सामान्य दंगों और गैरकानूनी सभाओं के बीच कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती है। एक बैठक के बीच का अंतर इतना तूफानी होता है कि अच्छी बातें हो

सकती हैं-शांति भंग होने का स्थापित भय और गृहयुद्ध, जिसके परिणाम सदियों तक किसी देश के इतिहास की दिशा तय कर सकते हैं, डिग्री का अंतर है। गैरकानूनी सभाएं, दंगे, विद्रोह, युद्ध लगाना, ऐसे अपराध हैं जो एक-दूसरे से टकराते हैं, और पूरी तरह से निश्चित सीमाओं से चिह्नित होने में सक्षम नहीं हैं, उन सभी में एक समान विशेषता है, वह यह है कि एक सभ्य समाज की सामान्य शांति उल्लिखित प्रत्येक मामले में या तो वास्तविक बल द्वारा बाधित होती है या कम से कम दिखावे और इसकी धमकी से।

सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराधों का एक अन्य वर्ग वे हैं, जिनमें न तो कोई वास्तविक बल नियोजित किया जाता है और न ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जिनमें ऐसा करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, वे गुप्त समाजों का गठन, देशद्रोही षडयंत्र, अपमान या बोले गए शब्द हैं।

इन दो शीर्षकों के तहत राज्य की आंतरिक सार्वजनिक शांति के खिलाफ सभी अपराधों की व्यवस्था की जा सकती है।"

यह परिच्छेद उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ दो मामलों को सामने लाता है, यह सबसे पहले दिखाता है कि राजद्रोह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक शांति के खिलाफ एक अपराध है और दूसरी बात यह है कि मोटे तौर पर सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों की दो श्रेणियां हैं: (ए) हिंसा सहित विकार जो काफी संख्या में व्यक्तियों या एक व्यापक स्थानीय क्षेत्र की शांति को प्रभावित करते हैं, और (बी) जो हिंसा के साथ नहीं हैं, लेकिन हिंसा का कारण बनते हैं, जैसे कि देशद्रोही बयान, देशद्रोही साजिशें आदि। ये दोनों प्रकार के अपराध ऐसे हैं, जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर कर देंगे या छोड़ दिए जाने पर इसे उखाड़ फेंकेंगे। जैसा कि मैंने इंगित करने की कोशिश की है कि इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत सारी आधिकारिक राय है कि राजद्रोह की गंभीरता इस तथ्य के कारण है कि यह राज्य की शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सैद्धांतिक रूप से तब, अनुच्छेद 19 के खंड (2) में राजद्रोह का उल्लेख करना और उन मामलों को छोड़ना तर्कसंगत नहीं होगा, जो कम गंभीर नहीं हैं और जिनमें राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने की समान क्षमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने तार्किक मार्ग अपनाने को प्राथमिकता दी और अधिक सामान्य और बुनियादी शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो राजद्रोह के साथ-साथ अन्य मामलों को भी कवर करने के लिए उपयुक्त हैं, जो राजद्रोह के रूप में राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

यदि अधिनियम को मेरे सुझाव के अनुसार देखा जाए, तो यह मानना मुश्किल है कि धारा 7 (1) (सी) अनुच्छेद 19 (2) के दायरे से बाहर है। उस खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंड (1) (ए) में कुछ भी किसी भी मामले से संबंधित किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि सार्वजनिक अव्यवस्थाएं और सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी राज्य की सुरक्षा को कमजोर करती है और यदि अधिनियम ऐसी अव्यवस्थाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है, तो यह संविधान की आवश्यकता को पूरा करता है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि "राज्य" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 12 में "भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर तथा भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

मुझे लगता है कि विवादित अधिनियम की धारा 20 में यह प्रावधान है कि प्रांतीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रांत का पूरा या कोई हिस्सा खतरनाक रूप से अशांत क्षेत्र है। इस प्रावधान का अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, और इसके दायरे पर विचार करते समय हम इसे नज़रअंदाज नहीं

कर सकते। प्रसंगवश यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमें सूचित किया गया है कि, इस धारा के तहत, दिल्ली प्रांत को "खतरनाक रूप से अशांत क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा एक नागरिक को दिए गए सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक है और न्यायालयों द्वारा इसकी सावधानीपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक सरकार के समुचित कामकाज के लिए स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा आवश्यक है, और आधुनिक न्यायविदों की प्रवृत्ति सेंसरशिप की निंदा करना है, हालांकि वे सभी इस बात से सहमत हैं कि "प्रेस की स्वतंत्रता" को इसकी "लाइसेंसपूर्णता" के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान ने स्वयं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं और इस न्यायालय को केवल यह देखने के लिए कहा जाता है कि कोई विशेष मामला उन सीमाओं के भीतर आता है या नहीं। मेरी राय में, जो कानून लागू किया गया है वह पूरी तरह से अनुच्छेद 19 (2) द्वारा संरक्षित है और यदि इसे सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती है तो याचिकाकर्ता यहां जिस उपाय की मांग कर रहे हैं उसे देना संभव नहीं है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस मामले में जो आदेश दिया गया है, उसमें कहा गया है कि साप्ताहिक ऑर्गनाइजर सार्वजनिक कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले अत्यधिक आपत्तिजनक मामले को प्रकाशित कर रहा है" और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई प्रस्तावित है, "वह सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने या मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक है"। इन तथ्यों को गृह सचिव द्वारा मुख्य आयुक्त को दिए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया है, जो अन्य बातों के अलावा यह भी बताता है कि प्रश्नगत आदेश मुख्य आयुक्त द्वारा केंद्रीय प्रेस सलाहकार समिति के परामर्श से पारित किया गया था, जो अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन द्वारा निर्वाचित एक स्वतंत्र निकाय है और इसमें कुछ प्रमुख पत्रों जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। मेरी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुख्य आयुक्त ने

8 --- 5 एस. सी. इंडिया (एन. डी.)/58

इस मामले में उस क्षेत्र के भीतर कार्य करने का इरादा किया है, जिसके भीतर उन्हें कानून के तहत कार्य करने की अनुमति है, और दावा की गई राहत देना इस न्यायालय की शक्ति से परे है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मैं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारिज करता हूँ।

याचिका मंजूर.

याचिकाकर्ताओं के लिए एजेंट: गणपत राय.

प्रतिवादी के लिए एजेंट: पीए मेहता।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डाॅ. अजय कुमार बिश्रोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है एवं किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद

(डाॅ. अजय कुमार बिश्रोई)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण,

जिला जैसलमेर (राजस्थान)